रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

#### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-17112021-231206 SG-DL-E-17112021-231206

### असाधारण EXTRAORDINARY

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 2021/कार्तिक 25, 1943[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 248No. 331]DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 2021/KARTIKA 25, 1943[N. C. T. D. No. 248

#### भाग IV PART IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय- I) विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 16 नवम्बर, 2021

संख्या 3/2021-राज्य कर (दर)

सं. फा. 3(111)/ वित्त(व्यय—I)/2021—22/डीएस—I/307.—विल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, एतदद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व—I) की अधिसूचना संख्या 06/2019 राज्य कर (दर) दिनांक 31 अक्टूबर, 2019, जिसे सं.फा. 3(79)/ वित्त (राजस्व—I)/2019—20/डीएस—VI/517, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग— IV, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,-

(क) शब्द ''जिनके मामले में राज्य कर का भुगतान करने की देयता है'' के स्थान पर शब्द ''जो कि इन पर राज्य कर का भुगतान करेंगे'' को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

6638 DG/2021 (1)

- (ख) शब्द "सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जहां अपेक्षित हो, आरईपी के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि या उनके प्रथम कब्जे पर, जो भी पहले हो को उत्पन्न होगा" के स्थान पर शब्द "उस कर अविध में, जो कि ऐसी कर अविध के बाद न हो, जिसमें, जहां भी आवश्यक हो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा परियोजना से संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र को जारी किए जाने की तारीख या इसके पहले कब्जे की तारीख, जो भी पहले हो, पडती हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- 2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप सचिव-I (वित्त)

नोट:—प्रधान अधिसूचना सं. 06/2019—राज्य कर (दर) दिनांक 31 अक्टूबर, 2019, को सं. फा. 3(79)/वित्त (राजस्व—I)/2019—20/डीएस— VI/517, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019, के तहत, दिल्ली के राजपृत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाित किया गया था ।

# FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 16th November, 2021

No. 3/2021- State Tax (Rate)

**No. F. 3(111)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/307.**—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-IV), No.06/2019- State Tax (Rate), dated the 31<sup>st</sup> October, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published vide No. F.3(79)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/517 dated the 31<sup>st</sup> October, 2019.

In the said notification, in the first paragraph-

- (a) for the words "in whose case the liability to", the words "who shall" shall be substituted.
- (b) for the words "shall arise on the date of issuance of completion certificate for the project, where required, by the competent authority or on its first occupation, whichever is earlier.", the words and symbols "in the tax period not later than the tax period in which the date of issuance of the completion certificate for the project, where required, by the competent authority or date of its first occupation, whichever is earlier, falls." shall be substituted.
- 2. This notification shall come into force with effect from the 2<sup>nd</sup> day of June, 2021.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. I (Finance)

**Note:** The principal notification No. 06/2019 – State Tax (Rate), dated the 31<sup>st</sup> Oct, 2019 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published vide No. F.3(79)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/517 dated the 31<sup>st</sup> Oct, 2019.